

प्रेषक,

रघुवंश मणि सिंह,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(रेलवे),
मुरादाबाद ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद ।

विषय :- स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) उपाधि धारक होने के फलस्वरूप 03 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक

1271/iv-F-82 (loose)/Admin. (A)Allahabad: Dated: Sept. 05, 2019

के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने अधोहस्ताक्षरी को सेवा में आने के उपरान्त दिनांक 26-7-2013 से स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) उपाधि धारक होने के फलस्वरूप 03 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ मंहगाई भत्ता सहित प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश पारित किया है ।

अतः महोदय से निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी के वेतन में 03 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ मंहगाई भत्ता सहित लगाये जाने व बकाया धनराशि का भुगतान किये जाने के संबंध में संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें ।

सम्मान सहित ।

भवदीय

(रघुवंश मणि सिंह),
07.09.19

(रघुवंश मणि सिंह),

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे),

मुरादाबाद ।

दिनांक : 07-9-2019